न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प चौहटन

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 13/2015

प्रार्थी
मदनलाल पुत्र चिन्तामणदास
जाति जैन निवासी चौहटन
तहसील,चौहटन

बनाम्

अप्रार्थी
सरपंच ग्राम पंचात चौहटन,
तहसील,चौहटन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी अर्न्तत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 20.02.2015 जो ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित': 1. श्री सुनील के.मेराजा़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी की ओर से उपसरपंच मोहनलाल सोनी उपस्थित।

निर्णय दिनाक 03.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.02.2015 को पंचायत बैठक में उप सरपंच एंव वार्ड पंच ने इस आशय का प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत चौहटन का बाड़ा जो पंचायत की दुकाने के पीछे बना हुआ है,जिसमें पूर्व में रोडवेज बस स्टेण्ड का संचालन किया जा रहा था, बाड़ा खाली एंव खुला होने के कारण अनाधिकृत कब्जा होने,गंदगी होने एंव स्वच्छता बनाये रखने को ध्यान में रखते हुए दुकान नम्बर 05 व 06 के बीच के गेट पर आरसीसी पीलर बनाकर दरवाजा लगाया जाए। इस पर ग्राम पंचायत चौहटन ने पत्रावली कायम कर बाद विचार विमर्श प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 20.02.2015 पारित कर बाड़े के दरवाजे पर पंचायत की निजी आय से आरसीसी पीलर एंव दरवाजा बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रस्ताव को गलत एंव नियम विरूद्ध तरीके से पारित होना बताते हुए प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया एंव ग्राम पंचायत चौहटन से रिकॉर्ड तलब किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश मोदी ने दिनांक 22.06.2015 को जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निगरानी के पद संख्या 01 से 04 गलत होने से अस्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट चौहटन में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी एंव उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थी की ओर से उपसरपंच ग्राम पंचायत चौहटन उपस्थित रहे।

4. हमने उभय पक्ष को सुना।। पत्रावली एंव ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकॉर्ड एंव जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 20.02.2015 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पेश की है। प्रार्थी का यह कथन कि उसने चौहटन कस्बे की आबादी भूमि मुख्य बाजार में पुराना रोडवेज बस स्टेण्ड परिसर के अंदर दुकान नम्बर 18 ग्राम पंचायत से किराये पर ले रखी है। दुकान संख्या 05 व 06 मुख्य रास्ता है जिसमें से होकर प्रार्थी एंव उसके ग्राहक व दुकान में टेन्ट सामान लाने व ले जाने हेतु वाहन वगैरा आते है दुकान तक आने व जाने हेतु यही एक सुगम रास्ता है, जिसे ग्राम पंचायत चौहटन ने आलोच्य प्रस्ताव गलत एंव नियम विरूद्ध तरीके से पारित कर, प्रार्थी की दुकान में आने जाने के मुख्य मार्ग को अवरूद्ध कर दिया है। जबकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत चौहटन का यह कथन है कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत की दुकान नम्बर 01 किराये पर दी गई है तथा पंचायत से किराये पर दी गई दुकान नम्बर 01 का किराया भी लम्बे समय तक प्रार्थी ने अदा नहीं किया है। दुकान नम्बर 18 प्रार्थी को किराये पर नहीं दी गई है इसलिये दुकान नम्बर 18 तक रास्ते में आने–जाने के लिये रास्ते को प्रार्थी द्वारा उपयोग करने का कोई औचित्य नहीं है और दुकान नं. 18 एव उसके पास की खुली भूमि से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है इसमें प्रार्थी को दुकान नम्बर 18 पर किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इनका यह भी कथन है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की आड़ में ग्राम पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहता है। इसलिये पंचायत की सम्पति को सुरक्षित रखने हेतु गेट लगाया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी को दुकान नम्बर 18 किराये पर देने एंव किराया अदा करने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का यह कथन कि ग्राम पंचायत ने पीलर बनाने एंव दरवाजा लगाने का प्रस्ताव गलत एंव नियम विरूद्ध तरीके से पारित किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली एंव बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत बस स्टेण्ड का परिसर ग्राम पंचायत चौहटन का खुला परिसर है जो मुख्य बाजार के पीछे स्थित है इस परिसर को सुरक्षित एंव सुरक्षित रखने तथा गंदगी एंव

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतिकमण से मुक्त रखने की मंशा से दुकान नम्बर 05 व 06 के बीच गेट पर आरसीसी पीलर बना कर दरवाजा बनाने का प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 20.02.2015 पारित कर स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायत को अपनी भूमि को सुरक्षित एंव संरक्षित रखने व उसमें परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार है। राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 48 के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत को किसी विषय पर प्रस्ताव पारित करने से बैठक का प्रारम्भ एंव उसकी वैधानिकता/गणपूर्ति अर्थात् कोरम पर निर्भर करती है। गणपूर्ति के लिये कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 20.02.2015 के अवलोकन से बैठक दिनांक 20.02.2015 मे 24 सदस्यों की उपस्थिति दर्शायी गयी है। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व पंचायत का कोरम पूरा होने के उपरान्त पारित किया गया है। ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा विधिवत प्रस्ताव पारित करने में किसी प्रकार की अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नही हुई है। प्रार्थी पक्ष निगरानी में अंकित तथ्यों को साबित करने में असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में पंचायत की भूमि में दरवाजा लगाने का ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 20.02.2015 को खारिज करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प चौहटन में आज दिनांक 03.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner